रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.1089] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940
No.1089] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

का.आ. 1224(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

वदुवूर पक्षी अभयारण्य 1.281 वर्ग किलोमीटर (128.10 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य के थीरुवरूर जिले के नीदामंगलम तालुक में स्थित है। जल निकाय में रहने वाले एवियन जीवजन्तु के संरक्षण के लिए 1999 में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सिंचाई टैंक को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था (जी.ओ. एमएस. सं.169 पर्यावरण और वन विभाग दिनांक: 22-07-1999);

और, यह एक मानव निर्मित सिंचाई टैंक है जो प्रवासी और आवासी जल पक्षियों दोनों को आकर्षित कर रहा है। जल पक्षियों के लिए इस आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न कार्यों अर्थात् फोर्गिंग, विंटरिंग, प्रजनन और रोस्टिंग को बीएनएचएस द्वारा किए गए एक वर्षीय संक्षिप्त पारिस्थितिकी अध्ययन के माध्यम से प्रलेखित किया गया है;

और, अभयारण्य तमिलनाडु के थीरूवरूर जिले के थंजावूर-मन्नारगुडी राजमार्ग पर स्थित है। यह थंजावूर-मन्नारगुडी राजमार्ग पर थंजावूर से लगभग 22 किलोमीटर और थीरुवरुर से लगभग 45 किलोमीटर, उदयमार्थंदापुरम पक्षी अभयारण्य से लगभग 58 किलोमीटर और प्वाइंट कैलीमर पक्षी अभयारण्य ब्लॉक बी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है;

और, अभयारण्य विश्व के विभिन्न भागों से आने वाले प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन भूमि है। हर साल यह सितंबर से फरवरी तक जल पक्षियों की 54 से अधिक प्रजातियों को आकर्षित करता है। पक्षी उत्तर में प्रजनन स्थानों पर वापस जाने से पहले भोजन के लिए अभयारण्य टैंक जाते हैं। प्रवास अवधि के पहले भाग में, अर्थात् अक्टूबर से दिसंबर तक छोटे पक्षियों की जनसंख्या जैसे टिल और बत्तख की जनसंख्या अधिक है क्योंकि पानी की गहराई अधिक है। जैसे ही जल दिसंबर से घटना शुरु हो जाता है, पेंटिड स्टॉर्क, ओपन बिल स्टॉर्क इत्यादि जैसे बड़े पक्षियों को अभयारण्य में एकत्रित किया जाता है। अतः, यह अनिवार्य है कि आस-पास के वातावरण को वर्तमान और भविष्य के लिए एवियन जीवजन्तुओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए;

और, अभयारण्य मूल रूप से एक सिंचाई टैंक है**,** अभयारण्य के अंतर्गत कोई प्राकृतिक वन नहीं है। *अकेसिया नीलोटिका* की पौधरोपण 1986 और 1988 के दौरान उगाई गई थी**,** और *अकेसिया* पौधरोपण के अलावा देशी प्रजातियां जैसे *इंका डुल्से***,** *ज़िज़िफस इंडिका***,** *पोंगामिया पिन्नाटा* भी उपलब्ध हैं। ये वृक्ष और मिट्टी बाँध बड़ी संख्या में हेरोनरी पक्षियों के घोंसले और रूस्ट के लिए आकर्षित करते हैं**;**

और, अभयारण्य में एवियन जीवजन्तुओं की 54 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं, जिनमें दुर्लभ प्रवासी पक्षी शामिल हैं जो इस अभयारण्य में आते हैं और रूस्ट करने आते हैं और कुछ प्रजातियां अंडे से निकलती हैं। प्रतिवर्ष इस पक्षी अभयारण्य में लगभग 40,000 पक्षी आते हैं। यह अभयारण्य पक्षी-विज्ञानी, पक्षी दर्शकों और शोधकर्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। विभिन्न पक्षियों के उदाहरण लिटिल ग्रैबे (*टैचिबैप्टस रूफिकोलियस*), ग्रे हेरॉन (*आर्देया सिनेरेरिया*), ओपन बिल स्टॉर्क (*अनास्टोमस ऑसीटानस*), स्पॉट-बिल डक (*अनास पोसीलोरिंका*), फिजेंट-पूंछ जैकाना (*हाइड्रोफैसिन्नस चिरुर्गस*), इंडियन पिफौल (*पावो क्रिस्टेटस*), इंडियन प्लांटिव कूकू (*कैकोमांटिस पासरिनस*) आदि हैं;

और, अभयारण्य में तितलियों, कीड़े-मकोड़ों, सरीसृपों, उभयचरों, स्तनधारियों की भी कुछ प्रजातियां हैं। तितलियों के उदाहरण ब्लू पैन्सी (*जुनोनिया ओरिथ्या*), सामान्य गुलाब (*कोलोटीस डाना*), ग्राम ब्लू (*यून्नीसॉप्स स्नीजस*), टिनी ग्रास ब्लू (*ज़िज़ुला हैइलैक्स*) आदि हैं; उभयचरों के उदाहरण कॉमन इंडियन टोड (*दत्ताफ्राइनस*

मेलेनोस्टिक्टस), स्किपर फ्रोग (*यूप्लिक्टिस साइनोफ्लिक्टिस*), कॉमन ट्री फ्रोग (*पॉलीपीडैटस मैकुलैटस*) आदि हैं; स्तनधारियों के उदाहरण इंडियन फ्लाइंग फॉक्स *(टेरोपस गिगांटेस)*, इंडियन ग्रे मोंगोस *(हेर्पेस्टेस एडवडर्सी)*, गोल्डन जैकल *(कैनिस ऑरियस)* आदि हैं;

और, वदुवूर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में वदुवूर पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.50 किलोमीटर तक के साथ क्षेत्र 1.229 वर्ग किलोमीटर मापा गया है जो विस्तारित क्षेत्र को वदुवूर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 0.50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 1.229 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-IIक से उपाबंध-IIङ** में है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध-III क** और **उपाबंध-IIIख** में है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,
(iii) कृषि,
(iv) राजस्व,
(v) शहरी विकास,
(vi) पर्यटन,
(vii) ग्रामीण विकास,
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
(ix) नगरपालिका,
(x) पंचायती राज,
(xi) लोक निर्माण विभाग,
(xii) राजमार्ग, और
(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**.–

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत**.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(a) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(b) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण**: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी।

		इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के

		अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित

	संचलन ।	होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.- प्रभावी मानीटरी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	जिला कलेक्टर, थिरुवरुर	अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी, थिरुवरुर	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/25/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	सीमा सं. 3 वदुवूर मेलपथी ग्राम सीमा से आरंभ होती है।
उत्तर पूर्व	उत्तर पूर्व सीमा वदुवूर मेलपथी ग्राम सीमा से आरंभ होकर और सीमा सं. 4 वदुवूर अग्रहराम ग्राम आर.एस. सं. 327 के निकट से जाती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा आर.एस. सं. 328 से 329, 331, 332 में सं. 4 वदुवूर अग्रहराम ग्राम के निकट से जाती है।
दक्षिण पूर्व	इसके बाद सीमा आर.एस. सं. 351/2, 351/3 और 367 में सं. 4 वदुवूर अग्रहराम ग्राम में समाप्त होती है।
दक्षिण	इसके बाद सीमा आर.एस. सं. 352, 353, 354, 355, 367, 368-ए में सं. 4 वदुवूर अग्रहराम ग्राम और थंजावूर-मन्नारगुडी सड़क और सं. 5 की ग्राम सीमा के साथ जाती है।
दक्षिण पश्चिम	इसके बाद सीमा मन्नारगुडी सड़क और सं. 5 की ग्राम सीमा और सीमा आर.एस. 351/1बी1, 351/1बी 2बी में वदुवूर अग्रहराम ग्राम के निकट जाती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा आर.एस. 351/1 बी 1, 351/1बी 2बी में वदुवूर अग्रहराम और थंजावूर जिला के ओराथनाद तालुक, 34 नेयवसल ग्राम की ग्राम सीमा के निकटवर्ती होते हुए जाती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा थंजावूर जिला के ओराथनाद तालुक, 34 नेयवसल ग्राम की ग्राम सीमा के निकटवर्ती होते हुए जाती है और इसके बाद सीमा सं. 3 वदुवूर मेलपथी ग्राम जाती है।

उपाबंध- IIक

वदुवूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

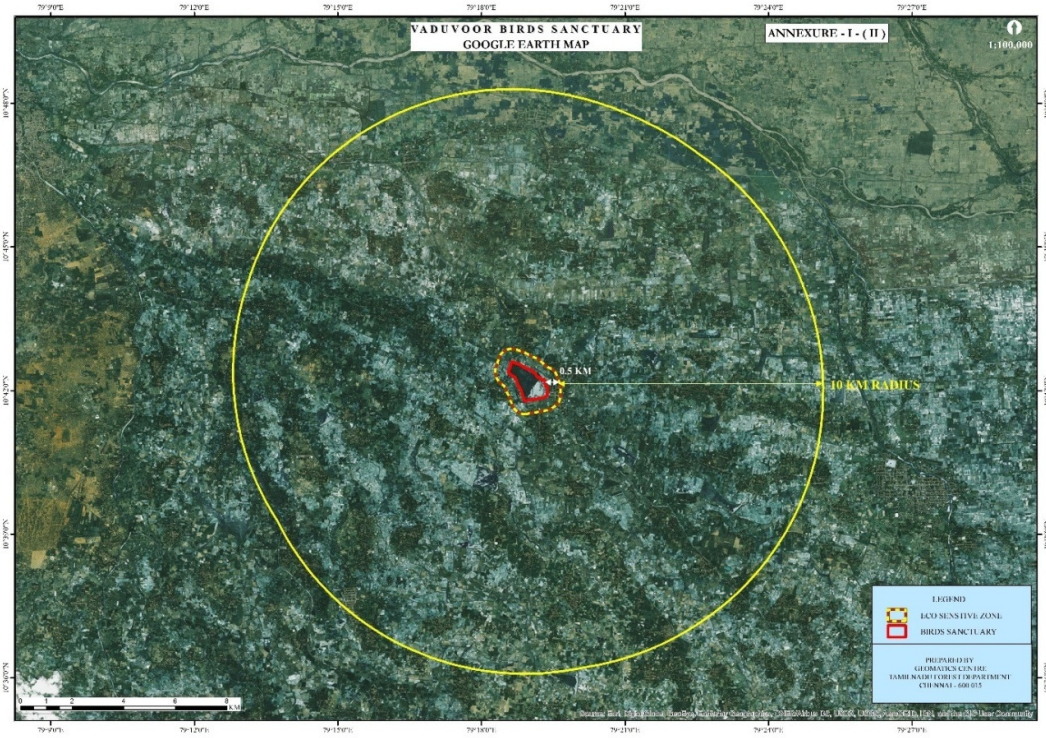

उपाबंध-IIख

वदुवूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

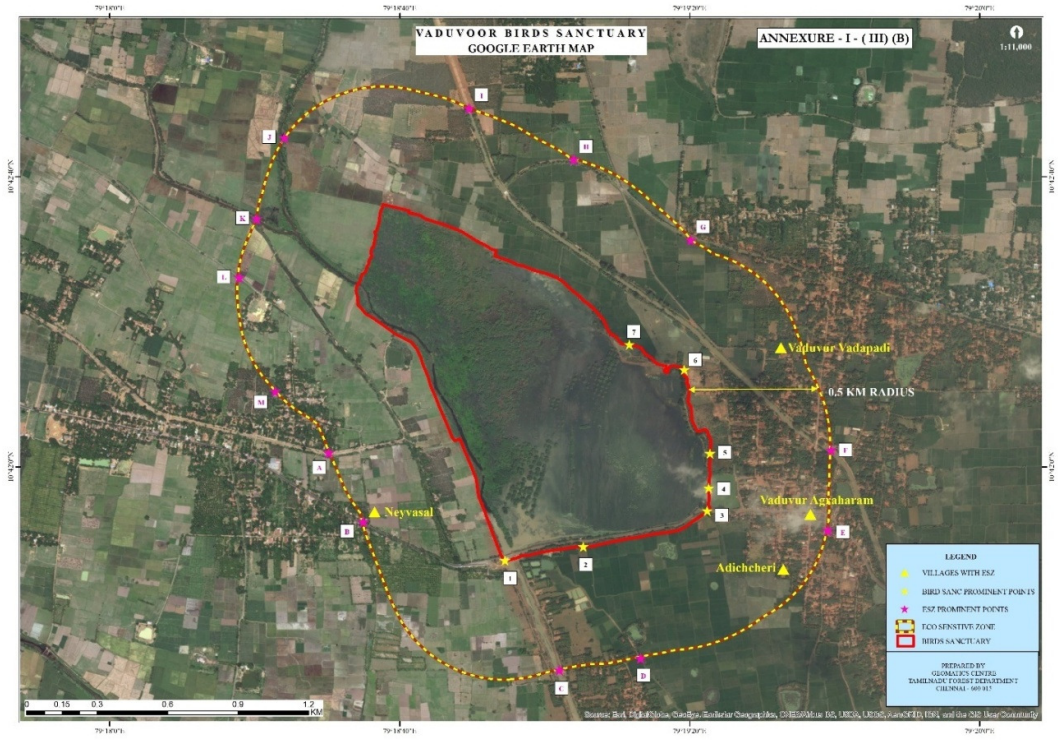

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर वदुवूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

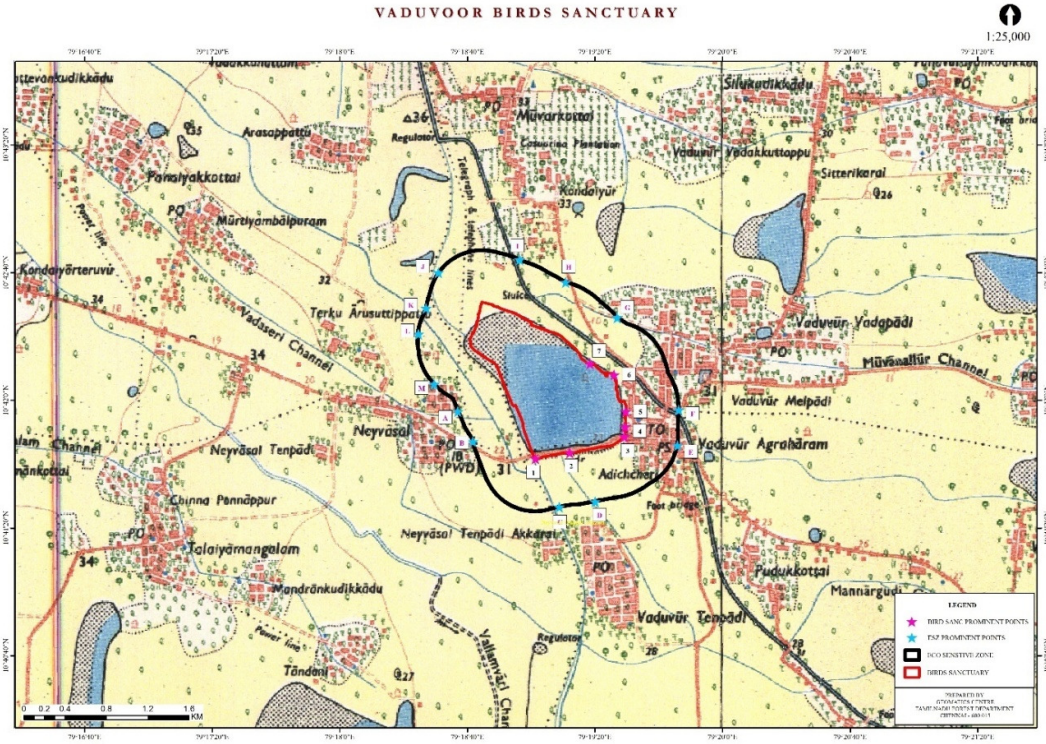

उपाबंध-IIघ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ वदुवूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र

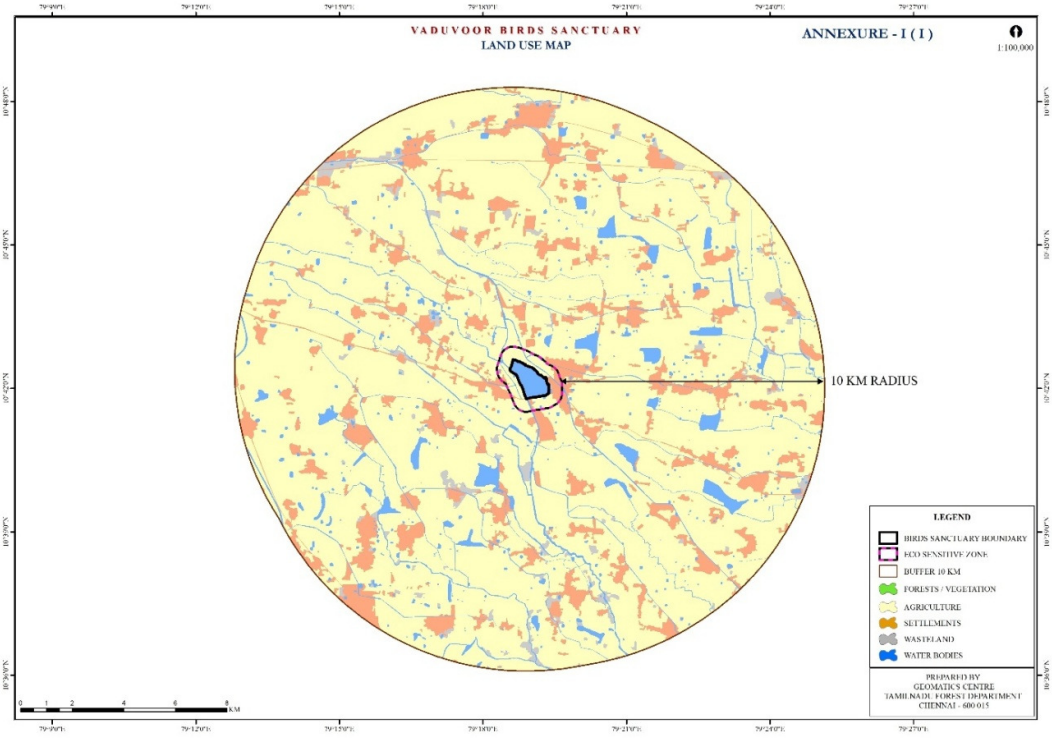

उपाबंध-IIङ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ वदुवूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

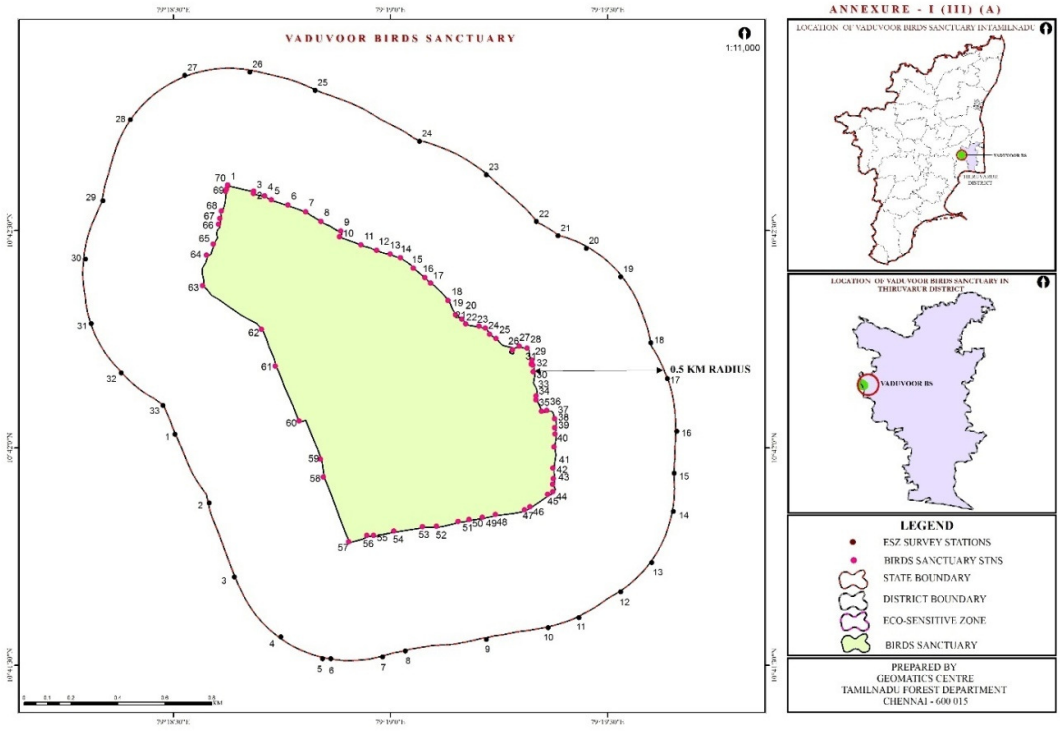

उपाबंध-III

सारणी क: वदुवूर पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र. सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारुप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारुप
1.	1	उ प	10°42'36"	79°18'37"
2.	2	उ प	10°42'36"	79°18'41"
3.	3	उ प	10°42'35"	79°18'41"
4.	4	उ प	10°42'35"	79°18'42"
5.	5	उ प	10°42'34"	79°18'44"
6.	6	उ प	10°42'33"	79°18'46"
7.	7	उ प	10°42'33"	79°18'48"
8.	8	उ प	10°42'31"	79°18'50"
9.	9	उ	10°42'30"	79°18'53"
10.	10	उ	10°42'29"	79°18'53"
11.	11	उ	10°42'28"	79°18'56"
12.	12	उ	10°42'27"	79°18'58"
13.	13	उ	10°42'27"	79°19'0"
14.	14	उ	10°42'26"	79°19'1"
15.	15	उ	10°42'25"	79°19'3"
16.	16	उ पू	10°42'23"	79°19'5"
17.	17	उ पू	10°42'23"	79°19'6"
18.	18	उ पू	10°42'21"	79°19'8"

19.	19	उ पू	10°42'18"	79°19'9"
20.	20	उ पू	10°42'18"	79°19'10"
21.	21	उ पू	10°42'17"	79°19'10"
22.	22	उ पू	10°42'17"	79°19'12"
23.	23	उ पू अय्यानारु कोविल	10°42'17"	79°19'13"
24.	24	उ पू	10°42'16"	79°19'14"
25.	25	पू	10°42'15"	79°19'15"
26.	26	पू	10°42'14"	79°19'17"
27.	27	पू	10°42'14"	79°19'18"
28.	28	पू ई बी ऑफिस, वदुवूर	10°42'14"	79°19'19"
29.	29	पू	10°42'12"	79°19'20"
30.	30	पू	10°42'12"	79°19'20"
31.	31	पू	10°42'12"	79°19'20"
32.	32	पू	10°42'10"	79°19'20"
33.	33	पू	10°42'7"	79°19'20"
34.	34	पू	10°42'6"	79°19'20"
35.	35	पू	10°42'5"	79°19'21"
36.	36	पू	10°42'5"	79°19'22"
37.	37	पू	10°42'4"	79°19'23"
38.	38	द पू	10°42'3"	79°19'23"
39.	39	द पू एंटी-पोचिंग शेड कम वॉच टावर	10°42'2"	79°19'23"

40.	40	द पू	10°41'60"	79°19'22"
41.	41	द पू	10°41'57"	79°19'22"
42.	42	द पू व्याख्या केंद्र	10°41'56"	79°19'22"
43.	43	द पू	10°41'55"	79°19'22"
44.	44	द पू	10°41'54"	79°19'22"
45.	45	द पू अभयारण्य प्रवेश	10°41'54"	79°19'22"
46.	46	द पू	10°41'52"	79°19'19"
47.	47	द	10°41'51"	79°19'18"
48.	48	द	10°41'51"	79°19'15"
49.	49	द	10°41'50"	79°19'13"
50.	50	द	10°41'50"	79°19'11"
51.	51	द	10°41'50"	79°19'9"
52.	52	द	10°41'49"	79°19'6"
53.	53	द	10°41'49"	79°19'4"
54.	54	द राजमार्ग में वॉच टॉवर	10°41'48"	79°19'0"
55.	55	द प	10°41'48"	79°18'58"
56.	56	द प	10°41'48"	79°18'57"
57.	57	द प कन्नानारू ब्रिज	10°41'47"	79°18'54"
58.	58	द प	10°41'56"	79°18'51"
59.	59	द प	10°41'59"	79°18'50"
60.	60	द प	10°42'4"	79°18'48"
61.	61	प	10°42'11"	79°18'44"

62.	62	प	10°42'17"	79°18'42"
63.	63	प	10°42'22"	79°18'34"
64.	64	प	10°42'27"	79°18'35"
65.	65	प	10°42'28"	79°18'36"
66.	66	उ प	10°42'31"	79°18'36"
67.	67	उ प	10°42'32"	79°18'36"
68.	68	उ प	10°42'33"	79°18'37"
69.	69	उ प	10°42'36"	79°18'37"
70.	70	उ प	10°42'36"	79°18'37"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	**प्रमुख बिंदुओं की पहचान**	**मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा**	**अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारुप**	**देशांतर (पू) डी एम एस प्रारुप**
1.	1	द प अरासपट्टू सेम्बागावरी	10°42'2"	79°18'30"
2.	2	द प राष्ट्रीय राजमार्ग नेयवसल	10°41'52"	79°18'35"
3.	3	द प	10°41'42"	79°18'38"
4.	4	द प	10°41'34"	79°18'45"
5.	5	द	10°41'31"	79°18'51"
6.	6	द	10°41'31"	79°18'52"
7.	7	द	10°41'31"	79°18'59"
8.	8	द कन्नारारू नदी	10°41'32"	79°19'2"
9.	9	द	10°41'34"	79°19'13"
10.	10	द पू	10°41'35"	79°19'22"
11.	11	द पू	10°41'37"	79°19'26"

12.	12	द पू	10°41'40"	79°19'32"
13.	13	द पू	10°41'44"	79°19'36"
14.	14	द पू	10°41'51"	79°19'39"
15.	15	द पू	10°41'57"	79°19'39"
16.	16	पू	10°42'2"	79°19'40"
17.	17	पू	10°42'10"	79°19'38"
18.	18	पू	10°42'15"	79°19'36"
19.	19	पू	10°42'24"	79°19'32"
20.	20	उ पू	10°42'28"	79°19'27"
21.	21	उ पू चेती वैक्कल	10°42'29"	79°19'23"
22.	22	उ पू	10°42'31"	79°19'20"
23.	23	उ	10°42'38"	79°19'13"
24.	24	उ सिथेरी वैक्कल	10°42'42"	79°19'4"
25.	25	उ मूरवारकोट्टी रेगुलेटर	10°42'49"	79°18'50"
26.	26	उ	10°42'52"	79°18'41"
27.	27	उ	10°42'51"	79°18'32"
28.	28	उ प	10°42'45"	79°18'24"
29.	29	उ प वदाचेरी वैक्कल	10°42'34"	79°18'20"
30.	30	उ प अरासपट्टू अययनार कोविल	10°42'26"	79°18'18"
31.	31	प	10°42'17"	79°18'19"
32.	32	प	10°42'10"	79°18'23"
33.	33	प	10°42'6"	79°18'29"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ वदुवूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारुप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारुप
1.	वदुवूर वदापथी	राजस्व ग्राम	नीदमंगलम	थिरुवारुर	10°42'16"	79°19'33"
2.	वदुवूर अग्रहराम	राजस्व ग्राम	नीदमंगलम	थिरुवारुर	10°41'53"	79°19'37"
3	अदिचचेरी	राजस्व ग्राम	नीदमंगलम	थिरुवारुर	10°41'46"	79°19'33"
4.	नेयवसल	राजस्व ग्राम	ओराथनादु	थंजावुर	10°41'54"	79°18'37"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति:-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार:
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2019

S.O.1224(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Vaduvoor Birds Sanctuary is spread over an area of 1.281 Square Kilometers (128.10 ha) and situated in Needamangalam Taluk of Thiruvarur District in the State of Tamil Nadu. An irrigation tank maintained by Public Works Department was declared as Bird Sanctuary in 1999 (G.O. Ms.No.169 Environment and Forests Department dated: 22-07-1999) for the conservation of avian fauna that inhabit the water body;

AND WHEREAS, it is a man-made irrigation tank that has been attracting both migrant and resident water birds. The various functions being provided by this wetland for the water birds namely foraging, wintering, breeding and roosting have been documented through one year brief ecological study undertaken by the Bombay Natural History Society (BNHS);

AND WHEREAS, the Sanctuary is located on Thanjavur-Mannargudi highway of Thiruvarur District of Tamil Nadu. It is located about 22 kilometers from Thanjavur on Thanjavur–Mannargudi highway and about 45 kilometers from Tiruvarur, about 58 kilometers from Udayamarthandapuram Bird sanctuary and 50 kilometers from Point Calimere Bird Sanctuary Block A;

AND WHEREAS, the sanctuary is an important feeding ground for migratory water birds that come from different parts of the world. Every year it attracts more than 54 species of water birds from September to February. The birds visit the sanctuary tank for feeding before getting back to their breeding places in north. In the first half of the migratory period, i.e. from October to December population of smaller birds like teals and ducks is high as water depth is more. As water starts receding from December onwards, larger birds like painted storks, Open bill storks, etc., are congregating in the sanctuary. Therefore, it is imperative that the surrounding environs are to be enabled to sustain the avian fauna for present and future;

AND WHEREAS, the sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the sanctuary. The *Acacia nilotica* plantations were raised during 1986 and 1988, and apart from *Acacia* Plantation native species like *Inca dulce, Ziziphus indica, Pongamia pinnata* are also available. These trees and earthen bund attracts large numbers of heronry birds to nest and roost;

AND WHEREAS, the sanctuary has recorded 54 species of avian fauna, including rare migratory birds that visiting and roosts in this sanctuary and certain species are hatching eggs. About 40,000 birds are visiting this bird sanctuary annually. This sanctuary is an important bird sanctuary for ornithologist, bird watchers and researchers. Examples of various birds are Little grebe (*Tachybaptus ruficollius*), Grey heron (*Ardea cinerea*), Open bill stork (*Anastomus oscitans*), Spot-bill duck (*Anas poecilorhyncha*), Pheasant-tailed jacana (*Hydrophasinnus chirurgus*), Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), Indian Plaintive Cuckoo (*Cacomantis passerinus*) etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary also has some species of butterflies, insects, reptiles, amphibians, mammals. Examples of butterflies are Blue Pansy (*Junonia orithya*), common rose (*Colotis danae*), gram blue (*Euchrysops cnejus*), Tiny Grass Blue (*Zizula hylax*) etc.; examples of amphibians are Common Indian Toad *(Duttaphrynus melanostictus),* Skipper Frog *(Euphlyctis cyanophlyctis),* common tree Frog *(Polypedatus maculatus)* etc.; Examples of mammals are Indian flying fox (*Pteropus giganteus*), Indian Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*), Golden Jackal (*Canis aureus*) etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas, the extent and boundaries of Vaduvoor Birds Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and

biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area measuring 1.229 square kilometers with an extent of 0.50 kilometer uniform around the boundary of Vaduvoor Birds Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Vaduvoor Birds Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone is 0.50 kilometer uniform around the Vaduvoor Birds Sanctuary. The area of the Eco-sensitive Zone is 1.229 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure-IIA to Annexure-IIE.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-IIIA and Annexure-IIIB** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following of the State Government Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj,
(xi) Public Works Department,
(xii) Highways, and
(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), above within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or Eco-tourism. -

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.
(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 kilometerfrom the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
    Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
    (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
    (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. - Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The Construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes: The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometers from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

(i)	District Collector, Thiruvarur	Chairman;
(ii)	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(iii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(v)	A representative from State Public Works Department	Member;
(vi)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(vii)	District Forest Officer, Thiruvarur	Member- Secretary.

6. Terms of Reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/25/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The Boundary starts from No.3 Vaduvur Melpathi village Boundary.
North East	The North East boundary starts from Vaduvur Melpathi village Boundary and the boundary runs just adjacent to No.4 Vaduvur Agraharam village R.S.No. 327.
East	Then the boundary runs just adjacent to No.4 Vaduvur Agraharam village in R.S.No. 328 to 329, 331, 332
South East	Then the boundary ends in No.4 Vaduvoor Agraharam village in R.S.No. 351/2, 351/3 and 367.
South	Then the boundary ends in No.4 Vaduvoor Agraharam village in R.S.No. 352, 353, 354, 355, 367, 368-A and takes of Thanjavur – Mannargudi Road and village boundary of No.5
South West	Then the boundary Mannargudi Road and village boundary of No.5 and the boundary runs just adjacent to Vaduvur Agraharam village in R.S. 351/1B1, 351/1B2B.
West	Then the boundary runs just adjacent to Vaduvur Agraharam village in R.S. 351/1B1, 351/1B2B and village boundary of 34 Neyvasal village, Orathanad taluk of Thanjavur District.
North West	The Boundary starts from just adjacent to village boundary of 34 Neyvasal village, Orathanad taluk of Thanjavur District and then the boundary runs No.3 Vaduvur Melpathi village.

ANNEXURE-IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VADUVOOR BIRDS SANCTUARY

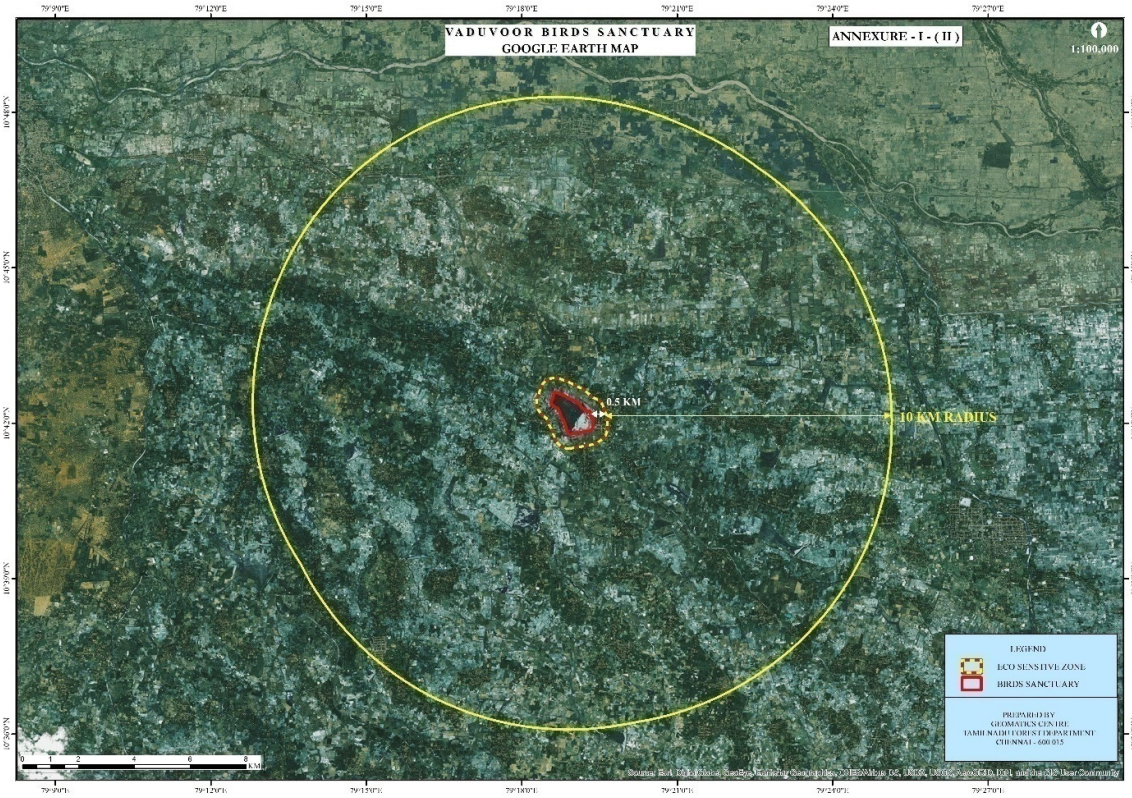

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VADUVOOR BIRDS SANCTUARY

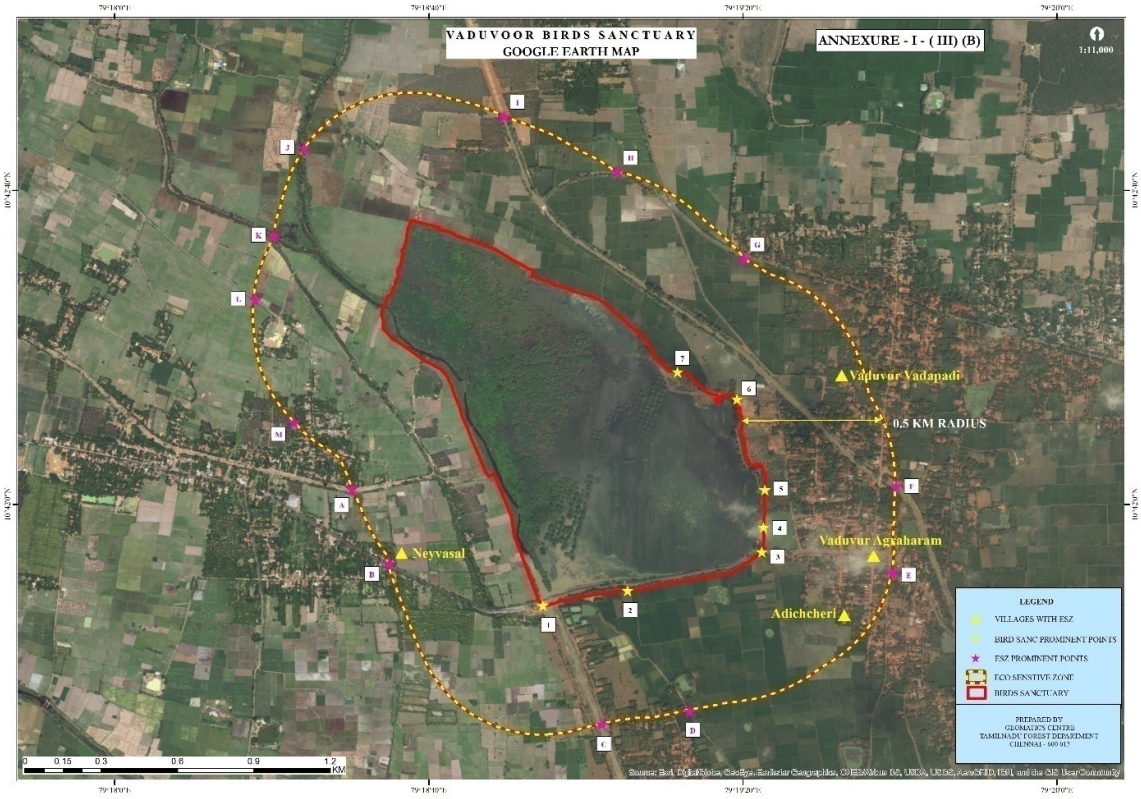

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VADUVOOR BIRDS SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

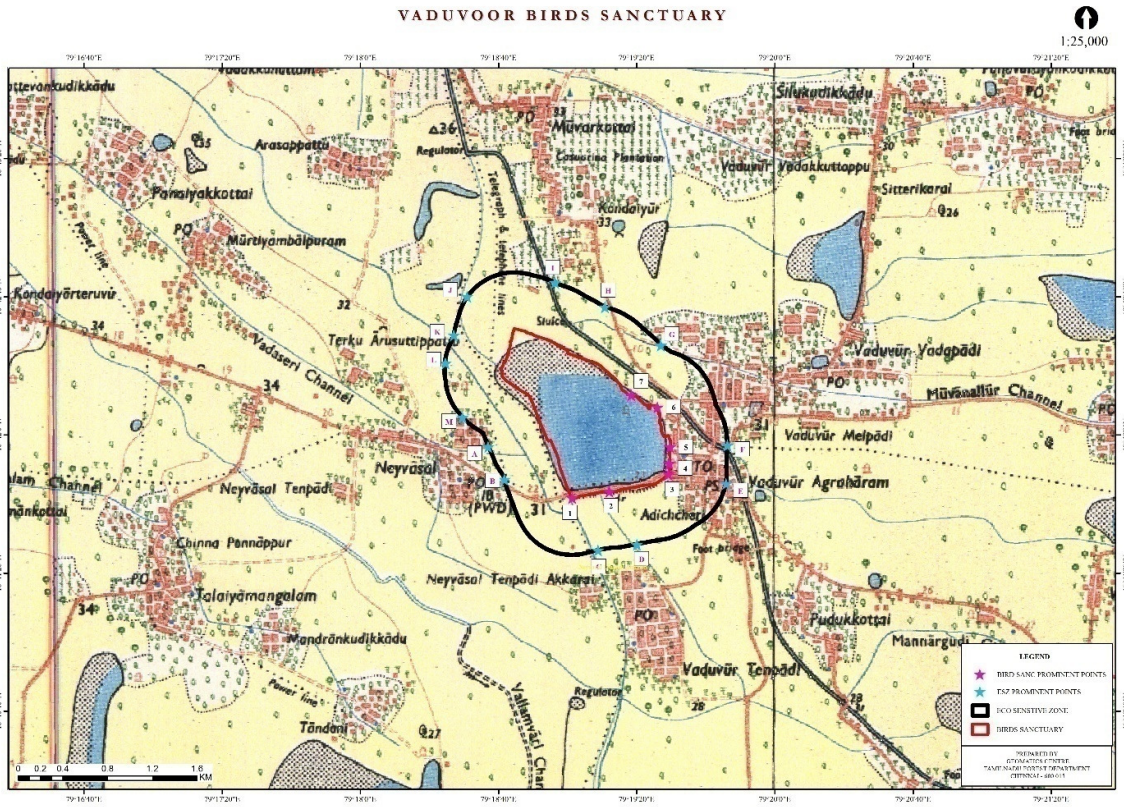

ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VADUVOOR BIRDS SANCTUARY ALONG WITH 10 KILOMETERBUFFER

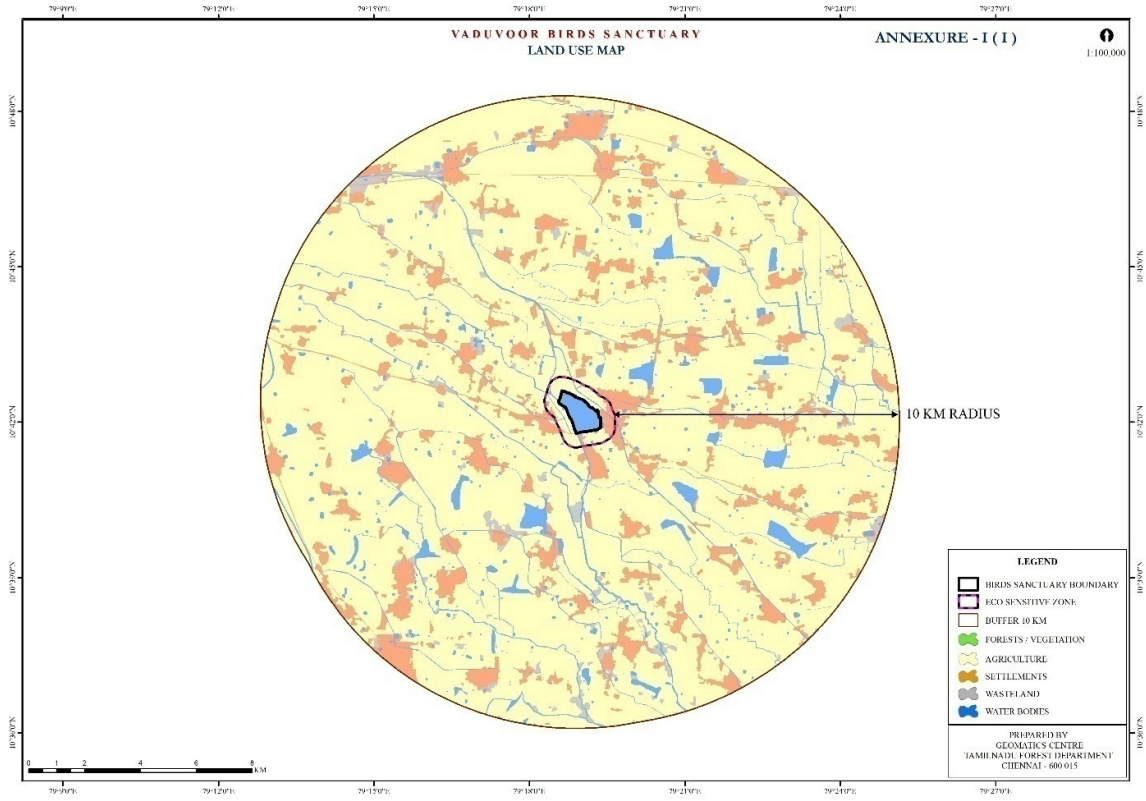

ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VADUVOOR BIRDS SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

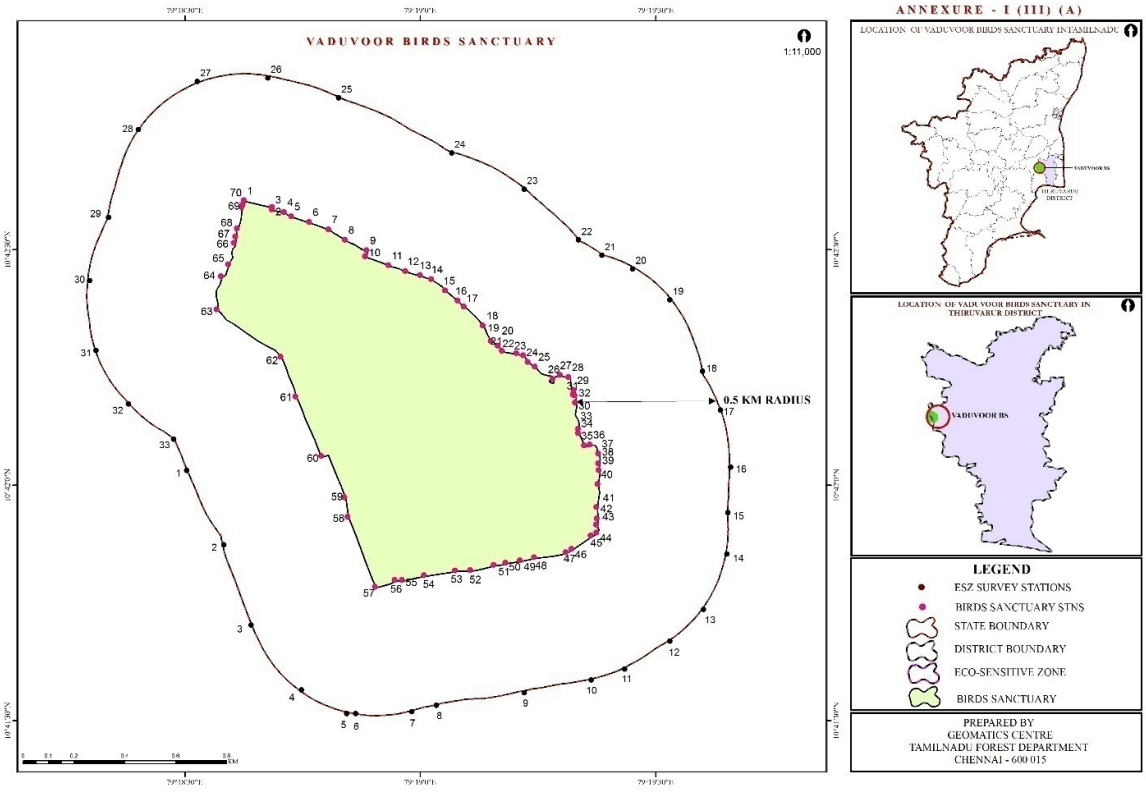

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Vaduvoor Birds Sanctuary, Tamil Nadu

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	NW	10°42'36"	79°18'37"
2.	2	NW	10°42'36"	79°18'41"
3.	3	NW	10°42'35"	79°18'41"
4.	4	NW	10°42'35"	79°18'42"
5.	5	NW	10°42'34"	79°18'44"
6.	6	NW	10°42'33"	79°18'46"
7.	7	NW	10°42'33"	79°18'48"
8.	8	NW	10°42'31"	79°18'50"

9.	9	N	10°42'30"	79°18'53"
10.	10	N	10°42'29"	79°18'53"
11.	11	N	10°42'28"	79°18'56"
12.	12	N	10°42'27"	79°18'58"
13.	13	N	10°42'27"	79°19'0"
14.	14	N	10°42'26"	79°19'1"
15.	15	N	10°42'25"	79°19'3"
16.	16	NE	10°42'23"	79°19'5"
17.	17	NE	10°42'23"	79°19'6"
18.	18	NE	10°42'21"	79°19'8"
19.	19	NE	10°42'18"	79°19'9"
20.	20	NE	10°42'18"	79°19'10"
21.	21	NE	10°42'17"	79°19'10"
22.	22	NE	10°42'17"	79°19'12"
23.	23	NE Ayyanaru Kovil	10°42'17"	79°19'13"
24.	24	NE	10°42'16"	79°19'14"
25.	25	E	10°42'15"	79°19'15"
26.	26	E	10°42'14"	79°19'17"
27.	27	E	10°42'14"	79°19'18"
28.	28	E EB Office, Vaduvoor	10°42'14"	79°19'19"
29.	29	E	10°42'12"	79°19'20"
30.	30	E	10°42'12"	79°19'20"
31.	31	E	10°42'12"	79°19'20"
32.	32	E	10°42'10"	79°19'20"
33.	33	E	10°42'7"	79°19'20"

34.	34	E	10°42'6"	79°19'20"
35.	35	E	10°42'5"	79°19'21"
36.	36	E	10°42'5"	79°19'22"
37.	37	E	10°42'4"	79°19'23"
38.	38	SE	10°42'3"	79°19'23"
39.	39	SE Anti-poaching shed cum Watch Tower	10°42'2"	79°19'23"
40.	40	SE	10°41'60"	79°19'22"
41.	41	SE	10°41'57"	79°19'22"
42.	42	SE Interpretation Centre	10°41'56"	79°19'22"
43.	43	SE	10°41'55"	79°19'22"
44.	44	SE	10°41'54"	79°19'22"
45.	45	SE Sanctuary Entrance	10°41'54"	79°19'22"
46.	46	SE	10°41'52"	79°19'19"
47.	47	S	10°41'51"	79°19'18"
48.	48	S	10°41'51"	79°19'15"
49.	49	S	10°41'50"	79°19'13"
50.	50	S	10°41'50"	79°19'11"
51.	51	S	10°41'50"	79°19'9"
52.	52	S	10°41'49"	79°19'6"
53.	53	S	10°41'49"	79°19'4"
54.	54	S Watch Tower in the Highway	10°41'48"	79°19'0"
55.	55	SW	10°41'48"	79°18'58"
56.	56	SW	10°41'48"	79°18'57"

57.	57	SW Kannanaru Bridge	10°41'47"	79°18'54"
58.	58	SW	10°41'56"	79°18'51"
59.	59	SW	10°41'59"	79°18'50"
60.	60	SW	10°42'4"	79°18'48"
61.	61	W	10°42'11"	79°18'44"
62.	62	W	10°42'17"	79°18'42"
63.	63	W	10°42'22"	79°18'34"
64.	64	W	10°42'27"	79°18'35"
65.	65	W	10°42'28"	79°18'36"
66.	66	NW	10°42'31"	79°18'36"
67.	67	NW	10°42'32"	79°18'36"
68.	68	NW	10°42'33"	79°18'37"
69.	69	NW	10°42'36"	79°18'37"
70.	70	NW	10°42'36"	79°18'37"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	SW Arasapattu Sembagavari	10°42'2"	79°18'30"
2.	2	SW National Highway Neyvasal	10°41'52"	79°18'35"
3.	3	SW	10°41'42"	79°18'38"
4.	4	SW	10°41'34"	79°18'45"
5.	5	S	10°41'31"	79°18'51"
6.	6	S	10°41'31"	79°18'52"
7.	7	S	10°41'31"	79°18'59"
8.	8	S Kannanaru River	10°41'32"	79°19'2"
9.	9	S	10°41'34"	79°19'13"
10.	10	SE	10°41'35"	79°19'22"
11.	11	SE	10°41'37"	79°19'26"
12.	12	SE	10°41'40"	79°19'32"
13.	13	SE	10°41'44"	79°19'36"

14.	14	SE	10°41'51"	79°19'39"
15.	15	SE	10°41'57"	79°19'39"
16.	16	E	10°42'2"	79°19'40"
17.	17	E	10°42'10"	79°19'38"
18.	18	E	10°42'15"	79°19'36"
19.	19	E	10°42'24"	79°19'32"
20.	20	NE	10°42'28"	79°19'27"
21.	21	NE Chetti Vaikkal	10°42'29"	79°19'23"
22.	22	NE	10°42'31"	79°19'20"
23.	23	N	10°42'38"	79°19'13"
24.	24	N Sitheri Vaikkal	10°42'42"	79°19'4"
25.	25	N Moorvarkkottai Regulator	10°42'49"	79°18'50"
26.	26	N	10°42'52"	79°18'41"
27.	27	N	10°42'51"	79°18'32"
28.	28	NW	10°42'45"	79°18'24"
29.	29	NW Vadacheri Vaikkal	10°42'34"	79°18'20"
30.	30	NW Arasapattu Ayyanar Kovil	10°42'26"	79°18'18"
31.	31	W	10°42'17"	79°18'19"
32.	32	W	10°42'10"	79°18'23"
33.	33	W	10°42'6"	79°18'29"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF VADUVOOR BIRDS SANCTUARYALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	Vaduvoor vadapathi	Revenue Village	Needamangalam	Thiruvarur	10°42'16"	79°19'33"
2.	Vaduvoor Agraharam	Revenue Village	Needamangalam	Thiruvarur	10°41'53"	79°19'37"
3	Adichcheri	Revenue Village	Needamangalam	Thiruvarur	10°41'46"	79°19'33"
4.	Neyvasal	Revenue Village	Orathanadu	Thanjavur	10°41'54"	79°18'37"

Annexure–V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.14 18:48:02 +05'30'